No.8-4/2021-Udyan (M)
Directorate of Horticulture,
Himachal Pradesh, Shimla-02.

From

Director of Horticulture,
Himachal Pradesh.

To

1. The Managing Director,
   HPMC, Nigam Vihar, Shimla-171002.
2. The Managing Director,
   HIMFED, Near Victory Tunnel, Shimla-171003.

Dated: Shimla-2, the

Subject:- Market Intervention Scheme for procurement of Citrus Fruits viz. Kinnow/ Malta/ Sangtra and Galgal in Himachal Pradesh during the year 2023-24.

Sir,

Kindly refer to the Government of Himachal Pradesh letter endorsement No. HTC-F (1)-2/2022 dated 13.12.2023 on the subject cited above (photocopy enclosed at Annexure-A).

In this context, it is stated that Himachal Pradesh Government has decided to implement Market Intervention Scheme for procurement of "B" & "C" grade Kinnow/Malta/ Sangtra @ Rs. 12.00 per Kg and all grades of Galgal @ Rs. 10.00 per Kg. Under the Scheme 54 procurement centres will be opened strictly as per the demand of fruit growers. Out of these, 34 and 20 collection centers (Annexure B) will be opened, operated and manned by HPMC and HIMFED, respectively.

Based on above, it is requested that immediate follow up action may kindly be taken up, so that procurement operation could start at the earliest. A copy of detailed instructions/directions for procurement of Citrus Fruits and other requisite enclosures may kindly be downloaded from e-udyan portal.

Yours faithfully,

Enclosures:-As above.

Joint Director of Horticulture,
Himachal Pradesh, Shimla-2.
Telephone No. 0177-2842390
e mail- *horticul-hp@nic.in*
Dated:

Endst. No.:- As Above

Copy forwarded to:-

1. The Secretary (Hort.) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, with reference to letter No. HTC-F (1)-2/2022 dated 13.12.2023 for favour of kind information, please.
2. The Deputy Commissioner, Kangra at Dharamshala, Mandi, Una, Hamirpur,Bilaspur ,Sirmour at Nahan, Solan and Kullu, H.P for favour of information,please.
3. The Additional Director Horticulture, Himachal Pradesh, Dharamshala, District Kangra, for favour of information and necessary action.

4. The Deputy Director Horticulture, Kangra at Dharamsala, Mandi, Una, Hamirpur, Bilaspur, Sirmour at Nahan, Solan and Kullu, H.P;
5. The Fruit Technologist, Shimla, Shamshi, Nagrota Bagwan and Dhaulakuan;
6. The Subject Matter Specialist (Hort.) Anni, Distt. Kullu, and Rajgarh, Distt.Sirmour, H.P.;
7. The Subject Matter Specialist (Fruit Processing) Fruit Processing Unit,Rajgarh, District Sirmour,Rajpura, Distt. Chamba and Nihal District Bilaspur, Himachal Pradesh;
8. The Incharge, Progeny-cum-Demonstration Orchard, Nihal, Nihari and Baroha,Distt. Bilaspur, H.P; for favour of information and necessary action.
9. The Administrative Officer, Directorate of Horticulture, Himachal Pradesh, Shimla-02;
10. The Incharge, Udyan-V, Directorate of Horticulture, Himachal Pradesh, Himachal Pradesh,Shimla-171002;for favour of information.
11. The Incharge- IT cell, Directorate of Horticulture, for information and with the remarks that all the enclosures may kindly be uploaded in e-udyan portal immedialtely.

Joint Director of Horticulture,
Himachal Pradesh, Shimla-2.
Telephone No. 0177-2842390

Smo
JD11
15/12/23

संख्या:एच0टी0सी0–एफ(1)–2/2022
हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्यान विभाग

प्रेषक

सचिव (उद्यान)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला

प्रेषित

निदेशक उद्यान विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–02

निदेशालय उद्यान
दै सं. 18131
दिनांक 16/12/23
नव बहार, शिमला-2

Sh. Susheel HEO
16/12/2023

दिनांक, शिमला–02 13/12/2023

विषयः हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत नींबू प्रजाति के फलों जैसे कीनू, मालटा, संतरा गलगल तथा नींबू के प्रोक्योरमैंट हेतु मंडी मध्यस्थता योजना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र सं0: No.8-4/2021-udyan(M), दिनांक 14.06.2023 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023–24 में नींबू प्रजाति के फलों जैसे कीनू, मालटा, संतरा गलगल व नींबू के प्रोक्योरमैंट हेतु मंडी मध्यस्थता योजना लागू करने हेतु सरकार की स्वीकृति निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है:–

i) योजना के अन्तर्गत 500 मी0 टन सभी प्रकार के कीनू/मालटा/संतरा का प्रोक्योरमैंट ₹ 12 प्रति कि0 ग्राम तथा सभी प्रकार के गलगल व नींबू का प्रोक्योरमैंट 100 मी0टन की ₹ 10.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से किया जाएगा।

ii) कीनू/मालटा/संतरा के लिए ₹ 2.65 प्रति कि0 ग्राम तथा गलगल व नींबू के लिए ₹ 1.00 प्रति कि0 ग्राम की दर से हैंडलिग चार्जेज दिये जाएंगे।

iii) कल्पित विक्रय वसूली को कीनू/मालटा/संतरा के लिए ₹ 3.50 प्रति कि0 ग्राम तथा गलगल व नींबू के लिए ₹ 1.50 प्रति कि0 ग्राम रखा जाएगा।

iv) योजना के अन्तर्गत कुल 54 प्रोक्योरमैंट केन्द्र मांग के आधार पर खोले जाएंगे तथा जरूरत पड़ने पर बाद में और प्रोक्योरमैंट केन्द्र जरूरत के आधार पर खोले जाएंगे जिनका संचालन एच0पी0एम0सी0 व हिमफैड अपने स्टाफ द्वारा ही करेंगे।

जारी है...

v) भण्डारण व यातायात के नुकसान इत्यादि की भरपाई को ध्यान में रखते हुए योजना के अन्तर्गत इस वर्ष भी फलों का प्रोक्योरमैंट 2.5 प्रतिशत अधिक फल सहित किया जाएगा।

vi) यह योजना राज्य में 21–11–2023 से 15–02–2024 तक लागू रहेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त स्वीकृति के अनुसार, संशोधीत प्रस्ताव इस बारे में इस विभाग को जल्दी प्रस्तुत करें ताकि इस मामलें को भारत सरकार से उठाया जा सकें। इस निर्णय का व्यापक प्रचार करें ताकि राज्य के फल उत्पादक इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ले सकें।

भवदीय

(डॉ0 विक्रम सिंह)
संयुक्त सचिव (उद्यान)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दू0सं0:0177–2628483

पृष्ठांकनः उपरोक्त दिनांक, शिमला–171002

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. अवर सचिव (सहकारिता), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
2. सचिव (वित्त), हि0 प्र0 सरकार, शिमला–02
3. सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार को माननीय मंत्रीपरिषद की दिनांक 23.08.2023 की बैठक में चर्चा की गई मद संख्याः42 के संदर्भ में।
4. प्रबन्ध निदेशक, एच0पी0एम0सी0, निगम विहार, शिमला–02
5. प्रबन्ध निदेशक, हिमफैड, शिमला–03
6. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क हि0प्र0, शिमला–02
7. निजि सचिव, उद्यान मंत्री, हि0 प्र0, शिमला–02
8. गार्ड नस्ति।

(डॉ0 विक्रम सिंह)
संयुक्त सचिव (उद्यान)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दू0सं0:0177–2628483

Annexure-"I"

LIST OF COLLECTION CENTRES FOR THE ROCUREMENT OF KINNOW/ MALTA/ SANGTRA AND GALGAL FRUITS UNDER CITRUS MIS-2023-24

Name of District	Sr. No.	Name of Collection Centre	To be operated by.
Kangra	1	Baijnath	HPMC
	2	Bhogarwan	HPMC
	3	Bankhandi	HIMFED
	4	BheduMahadev	HIMFED
	5	Dhaliara	HIMFED
	6	Dadasiba	HPMC
	7	Indpur	HPMC
	8	Jachh	HIMFED
	9	Jawalamukhi	HIMFED
	10	Jawali	HPMC
	11	Kandrori	HPMC
	12	Khundian	HPMC
	13	KasbaKotla	HPMC
	14	Lunj	HIMFED
	15	Lambagaon	HIMFED
	16	NagrotaBagwan	HIMFED
	17	NagrotaSurian	HPMC
	18	Panchrukhi	HIMFED
	19	Pragpur	HPMC
	20	Ranital	HIMFED
	21	Shahpur	HPMC
Mandi	1	Baryara	HPMC
	2	Chailchowk	HPMC
	3	Dharampur	HPMC
	4	Jarol	HPMC
	5	Joginder Nagar	HPMC
	6	Kotli	HPMC
	7	Nalsar	HPMC

	8	Rewalsar	HPMC
	9	Sarkaghat	HPMC
	10	Shaulikhad	HPMC
	11	Suradi	HPMC
	12	Taliyar	HPMC
	13	Samrahan	HPMC
Una	1	Amb	HIMFED
	2	Bangana	HIMFED
	3	Gagret	HIMFED
	4	Saloh	HIMFED
	5	Una	HIMFED
Hamirpur	1	Bijhri	HPMC
	2	Hamirpur	HIMFED
	3	Nadaun	HIMFED
	4	Sujanpur	HIMFED
	5	Tarkwari (Bhoranj)	HIMFED
Bilaspur	1	Baroha	HPMC
	2	Kalol	HPMC
	3	Nihari	HPMC
	4	Nihal	HPMC
	5	Swarghat	HPMC
Sirmour	1	Bagthan	HPMC
	2	Dhaulakuan	HPMC
Solan	1	Nalagarh	HPMC
	2	Parwanoo	HPMC
Kullu	1	Luri	HIMFED
Total:-	**54**		

Annexure-"II"

DISTRICTWISE NAME OF CITRUS FRUIT COLLECTION CENTRES tO BE OPENED, MANNED AND OPERATED BY HPMC UNDER MARKET INTERVENTION SCHEME-2023-24

Name of District	Sr. No.	Name of Collection Centre
Kangra	1.	Baijnath
	2.	Bhogarwan
	3.	Dadasiba
	4.	Indpur
	5.	Jawali
	6.	Kandrori
	7	Khundian
	8	Kasba Kotla
	9	Nagrota Surian
	10	Pragpur
	11	Shahpur
Mandi	1.	Baryara
	2.	Chailchowk
	3.	Dharampur
	4.	Jarol
	5.	Joginder Nagar
	6.	Kotli
	7	Nalsar
	8	Rewalsar
	9	Sarkaghat
	10	Shaulikhad
	11	Suradi
	12	Taliyar
	13	Samrahan
Hamirpur	1	Bijhri
Bilaspur	2	Baroha
	3	Kalol
	4	Nihari

	5	Nihal
	6	Swarghat
Sirmour	1	Bagthan
	2	Dhaulakuan
Solan	1	Nalagarh
	2	Parwanoo
Total	34	

Annexure-"III"

DISTRICTWISE NAME OF CITRUS FRUIT COLLECTION CENTRES FOR TO BE OPENED, MANNED AND OPERATED BY HIMFED UNDER MARKET INTERVENTION SCHEME-2023-24.

Name of District	Sr. No.	Name of Collection Centre
Kangra	1.	Bankhandi
	2.	Bhedu Mahadev
	3.	Dhaliara
	4.	Jachh
	5.	Jawalamukhi
	6.	Lunj
	7	Lambagaon
	8	Nagrota Bagwan
	9	Panchrukhi
	10	Ranital
Una	1.	Amb
	2.	Bangana
	3.	Gagret
	4.	Saloh
	5.	Una
Hamirpur	1.	Hamirpur
	2.	Nadaun
	3.	Sujanpur
	4.	Tarkwari (Bhoranj)
Kullu	1	Luri
Total	20	

Annexure-"IV"

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE GRADES SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT OF DIFFERENT GRADE OF KINNOW/ MALTA/ SANGTRA AND GALGAL FRUITS UNDER MARKET INTERVENTION SCHEME 2023-24.

Kinnow/Malta/Sangtra.

"B" grade.

Fruits having diameter between 51MM and above.

The fruits should be clean, free from injury and cuts.

It should be free from diseases.

The pedical should be cut to the shortest possible length so that it may not injure other fruits.

The fruits should be of one variety in a pack.

The fruits should not be of brown colour.

"C" grade.

Fruits having diameter between 40 MM to 50 MM

Fruits should be free from puncture, rots, diseases, insects-pests as well as bird injury, fruits with slight hail damage will be accepted.

1. **Galgal**

   All grades.

The fruits should be sound, clean, free from foreign smell, taste, sufficiently developed, shape and colour typical of the variety, surface colour well developed ranging from greenish yellow to yellow, hail damaged or fruits with minor defects will be accepted but those having skin puncture, bird eaten, attack of fungal disease (insect-pests or rotten fruits) will not be accepted.

Annexure-V

नीम्बू प्रजाति के किन्नू, माल्टा, सन्तरा एवं गलगल फलों का मण्डी मध्यस्थता योजना 2023–24 के अर्न्तगत प्रापण करनें हेतु दिशा निर्देश

प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि किन्नू, माल्टा, सन्तरा एवं गलगल फल की खरीद "मण्डी मध्यस्थता योजना" के अर्न्तगत की जाये जिसके अर्न्तगत प्रापण दरों का ब्यौरा इस प्रकार से हैः–

फल का नाम	ग्रेड विवरण	प्रापण दरें (रूपये /कि0 ग्रा0)
किन्नू, माल्टा, सन्तरा	"बी "	12.00
किन्नू, माल्टा, सन्तरा	"सी"	12.00
गलगल	सभी ग्रेडज	10.00

1. मण्डी मध्यस्थता योजना को सफल बनाने एवं भविष्य में भी इसें निरन्तर लागू रखनें के उद्धेश्य से फल प्रापण संस्थाओं, फल एकत्रीकरण केन्द्रों के प्रभारियों एवं फल उत्पादकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे फल प्रापण के दौरान निम्न दिशा–निर्देशों को ध्यानगत रखेंगे। फल प्रापण संस्थायें, प्रभारियों को निम्न सामग्री उपलब्ध करवाऐंगीः–
   1. फल रसीद बुक
   2. फल प्राप्ति रजिस्टर
   3. फल प्रेषण रजिस्टर
   4. चालान/जी.आर.बुक.
   5. भार तोलने की मशीन
   6. तरपाल इत्यादि
2. प्रत्येक केन्द्र प्रभारी, बागवानों से अच्छे फलों का ही प्रापण करेंगें अर्थात फल सडे–गले, पक्षियों के खाये हुए, पेड से गिरे हुए, दागी तथा रोगग्रस्त न हों। फलों का प्रापण करते समय, केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जो बागवान पहले केन्द्र पर फल लाएगा, उसका फल पहले स्वीकार किया जाएगा। फलों की गुणवता की जांच करनें हेतु संक्षिप्त विवरण, परिशिष्ट "ख" पर दिये गये हैं।
3. फल को तोलने से पहले केन्द्र प्रभारी द्वारा बागवानों द्वारा लाये गये फलों का पूर्णतयः निरीक्षण करना होगा ताकि पता चल सके कि प्रत्येक पैकेज में एक ही किस्म का फल पैक किया गया है। अतः इस बारे में बागवानों को चाहिऐ कि वे फलों को पूर्णतयः ग्रेड करके ही फल प्रापण केन्द्र पर लाएं अन्यथा फलों की रिपैकिंग एवं रिग्रेडिग पर जो व्यय आयेगा, वह बागवान को ही वहन करना होगा।
4. फलों का प्रापण करते समय बागीचों से फल एकत्रीकरण केन्द्र तक फलों को पंहुचानें व केन्द्र पर गाडी से उतारने का व्यय बागवान द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि फल गला–सडा अथवा दागी पाया गया तो छंटाई एवं रिपैंकिग का व्यय बागवानों द्वारा वहन किया जाएगा । फल प्रापण के उपरान्त फलों की भराई, ढुलाई, चौकीदारी एवं फलों को गाडी में लोड करनें इत्यादि का सारा व्यय प्रापण संस्थाओं को वहन करना होगा। जो फल उत्पादक बिना पैकिंग अर्थात नंगा (दांमक) फल केन्द्र पर लाएंगे अर्थात फलों को पैक करके नहीं लाएंगे उनका फल केन्द्र प्रभारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. किन्नू, माल्टा एवं सन्तरा फलों को बागवानों से केवल 15 कि.ग्रा. क्षमता अथवा इससे कम क्षमता वाले प्लास्टिक क्रेटों / बांस से बनी टोकरियों / कार्टनों में ही स्वीकार किया जाएगा। पैकेज के भार के अतिरिक्त 2.5 प्रतिषत फल अधिक तोला जाएगा । प्रापण संस्थाओं को यह सभी सामग्री अर्थात टोकरियां, क्रेट एवम कार्टन इत्यादि बागवानों को वापिस करनी होगी।

6. उक्त योजना के अन्तर्गत गलगल फलों का प्रापण 40 कि.ग्रा. क्षमता अथवा इससे कम क्षमता वाली जूट की बोरियों में किया जाएगा। अतः केन्द्र प्रभारियों को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे बागवानों से गलगल फलों को 10 कि.ग्रा., 20 कि.ग्रा. या फिर 40 कि.ग्रा. क्षमता वाली बोरियों में ही स्वीकार करेगें तथा प्रत्येक बोरी में, बोरी के भार के अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत फल अधिक तोला जाएगा।

7. केन्द्र प्रभारियों द्वारा फलों का प्रापण केवल उन्हीं बागवानों से किया जाएगा जिनके पास उद्यान कार्ड होगें। केन्द्र प्रभारी, उद्यान कार्ड में फलों की मात्रा ग्रेड सहित अंकित करके बागवानों को देय राशि का उल्लेख कार्ड में दर्ज करेंगे। फलों का प्रापण ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधि से नही किया जाएगा।

8. फलों की प्राप्ति के एवज में जारी की गई केवल वही रसीद मान्य होगी जोकि केन्द्र प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित की गई हो अर्थात किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रसीद मान्य नहीं होगी और न ही ऐसी रसीद के एवज में अदायगी लेने हेतु बागवान हकदार होंगें।

9. केन्द्र प्रभारियों का यह प्रथम कर्तव्य होगा कि वे प्रापण किये गए फलों को धूप व बर्षा से वचाएं ताकि फल खराव न हों।

10. रसीद जारी करते समय केन्द्र प्रभारी शब्दों एवं अंको में बोरियों / टोकरियों / क्रेटों / कार्टनों की संख्या एवं फलों की मात्रा किलोग्रम में साफ–साफ अक्षरों में अंकित करेंगे तथा साथ में दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर भी करेंगे। इसके अतिरिक्त रसीद पर बागवान के हस्ताक्षर भी दिनांक सहित करवानें होंगें। बागवान को रसीद देने से पूर्व केन्द्र प्रभारी व प्रापण संस्था को बागवानों की श्रेणी के बारे में भी पूर्ण जानकारी अपनें अभिलेख में दर्ज करनी होगी कि क्या बागवान पिछडे क्षेत्र का रहने वाला है, यदि हां ! तो उक्त अभिलेख में पिछडी पंचायत का नाम, विकास खण्ड का नाम दर्ज कर लिया जाए।

11. फल एकत्रिकरण केन्द्र पर प्रापण कार्य, केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रातः 10 बजे सें सायं 5 बजे तक किया जाएगा तथा केन्द्र रविवार वाले दिन बन्द रहेगा।

12. केन्द्र प्रभारी को प्रापण किये गये फलों की साप्ताहिक सूचना नियमित रूप से (सिवाय रविवार) निर्धारित प्रपत्र अनुसार (प्रपत्र "क") प्रबन्ध निदेशक, एच.पी.एम.सी. / हिमफैड इनमें से जो भी लागू हो एवं निदेशक, उद्यान, हिमाचल प्रदेश को प्रेषित करनी होगी।

13. सभी बागवान, किसान तथा इस कार्य हेतु लगाये गये अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि फल प्रापण में कोई अनियमितता न हो, यदि ऐसा पाया जाता है तो वे सांझे तौर पर इसक लिये उत्तदायी होगें।

14. फलों के परिवहन, विधायन एवं विपणन सभी गतिविधियां प्रापण संस्थाओं द्वारा की जाऐंगी जिससे कि फलों के विधायन एवं विपणन से लाभकारी परिणाम प्राप्त हों। यदि इस बारे में नेफैड अथवा अन्य सहकारी संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की जाती हो तो उनका भी सहयोग लिया जा सकता है।

15. प्रापण संस्थाओं द्वारा गलगल फल का लेखा–जोखा अलग से एवं किन्नू / माल्टा / सन्तरा फलों के प्रापण, प्रेड्डण, विधायन एवं विपणन का लेखा जोखा ग्रेडवार अलग से रखा जाएगा अर्थात गलगल फल के प्रापण, विधायन एवं विपणन पर होनें वाले व्यय, आय इत्यादि के विवरण अलग रखने होंगे तथा किन्नू, माल्टा, सन्तरा " बी" व "सी" ग्रेड एवं गलगल हेतु विवरण अलग–अलग एवं केन्द्रवार रखे जाएं ताकि न केवल कठिनाईयों के कारणों का ही सूक्ष्म अध्ययन करके, फल प्रापण एवं विपणन प्रणाली में वाछिंत सुधार लाया जा सके बल्कि कुशल एवं परिश्रमी केन्द्र प्रभारियों की सेवाओं की भी प्रशंसा की जा सके।

16. मण्डी मध्यस्थता योजना के कार्यन्वयन को सफल बनाने हेतु फलों के प्रापण , प्रेषण, विधायन एवं विपणन इत्यादि से सम्बन्धित सभी गतिविधियों का पूर्ण समन्वय फल प्रापण संस्थाओं में हो। अतः प्रत्येक प्रापण संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक दूसरे को फलों के प्रापण व विधायन इत्यादि गतिविधियों में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

17. फल प्रापण की समाप्ति पर सभी प्रापण संस्थायें पूर्ण आडिटिड लेखा–जोखा, निदेशक, उद्यान, हिमाचल प्रदेश, के माध्यम से प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करेंगी जिसके लिये प्रपत्र प्रापण अवधि समाप्त होने के उपरान्त उद्यान विभाग द्वारा प्रापण संस्थाओं को उपलब्ध करवाये जाऐंगे।

18. फल प्रापण कार्य को सुचारू रूप से चलाने एवं केन्द्र प्रभारियों को फल प्रापण व प्रेषण में आने वाली कठिनाईयों को मध्यनजर रखते हुए प्रापण संस्थाएं व निदेशक, उद्यान, सैक्टर अधिकारी, लाईन अधिकारी भी कार्य हेतु आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त कर सकते है।

19. यदि फलों के प्रापण एवं प्रेषण से सम्बन्धित कोई कठिनाई हो तो प्रापण संस्थाएं प्रदेश सरकार से पत्राचार कर सकती है जिसकी प्रति निदेशक उद्यान को भी भेजनी होगी।

20. बागवान तथा इस र्काय पर लगाए गए अधिकारी यह सुनिष्चित करेंगे कि फल प्रापण में कोई अनियमितत्ता न हो अन्यथावे सॉझें तौर पर उत्तरदायी होंगें ।

21. नीम्बू प्रजाति फल मण्डी मध्यस्थता योजना 2023–24 के अर्न्तगत किन्नू/ माल्टा/ सन्तरा तथा गलगल का प्रापण प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित फल एकत्रीकरण केन्द्रों में किया जाना निहित है।

22. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उक्त योजना के अर्न्तगत फल प्रापण के समय यदि कोई बागवान/असमाजिक तत्व केन्द्र पर प्रभारी से दुर्व्यवहार करता है तथा सडे–गले फलों को जबरन केन्द्र प्रभारी को देने की कोशिश करता है तो उस परिस्थिति में केन्द्र प्रभारी को फल एकत्रीकरण केन्द्र बन्द करने का अधिकार होगा तथा सरकार ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं बरतेगी।